

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-17/2017

186

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची ;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 15-12-17

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 49S470180796750649 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष                                  | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                                             | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                                    | कुल आवंटन (लाख रु. में) |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2                                                                      | 3                                                                              | 4                                                           | 5                       |
| 1.   | 49-जल संसाधन विभाग / 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80-सामान्य | 796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता विपत्र कोड - 49S470180796750649 | 61.17                   |

आवंटित राशि - ₹ एकसठ लाख सत्तरह हजार मात्र।

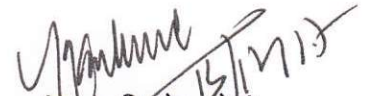
- आवंटित राशि वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध राशि ₹ 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(कमल किशोर सोन)  
सचिव

ज्ञापांक :-

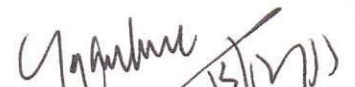
186

राँची, दिनांक :-

15-12-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गुमला/खूँटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(कमल किशोर सोन)  
सचिव

ज्ञापांक :-

186

राँची, दिनांक :-

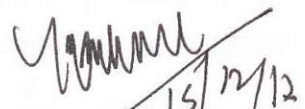
15-12-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(श्वेता कुमारी)  
सहायक अभियंता

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(कमल किशोर सोन)  
सचिव

विभागीय पत्रांक. 186

दिनांक 15-12-18

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना

उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन,

वरतुल शीर्ष-06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपन्न कोड 49S470180796750649

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध 600.00 लाख (छः करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र० | प्रमंडल का नाम                  | मुख्य अभियंता | योजना का नाम                                                                                                                                                                                                                                  | प्रशासनिक स्वीकृति का                   |         | मार्च 2017 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन |               |           | On-line Allotment Access No. | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               | प्रसंग                                  | राशि    |                       | पूर्व का आबंटन                 | वर्तमान आबंटन | कुल आबंटन |                              |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | 2                               | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                       | 6       | 7                     | 8                              | 9             | 10        | 11                           | 12                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRK001) | सैची          | जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, डीपीआर प्रीप्रेशन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन, कार्य, सेन गेज स्थापन आदि के भुगतान हेतु। | 13 / 17-18 प्र०स्वी० दिनांक-30.05.2017  | 1350.00 | 0.00                  | 0.00                           | 10.60         | 10.60     | 79292                        | DPR of ERM of Katri Reservoir Scheme                                                                                                                                                                                           |
|      |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | 0.00                  | 0.00                           | 8.95          | 8.95      |                              | DPR of ERM Study of Dhansingh Toli                                                                                                                                                                                             |
|      |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | 0.00                  | 0.00                           | 6.89          | 6.89      |                              | DPR of ERM of Jaipur Reservoir Scheme                                                                                                                                                                                          |
|      |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | 0.00                  | 0.00                           | 9.54          | 9.54      |                              | DPR of ERM of Phaujhar Irrigation Scheme                                                                                                                                                                                       |
| 2    | जलपथ प्रमंडल, खुँटी (RNCIRK02)  | सैची          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | 0.00                  | 0.00                           | 20.62         | 20.62     | 79293                        | DPR of MICRO-Planning of Latratu                                                                                                                                                                                               |
| 3    | जलपथ प्रमंडल, सैची (DRNMID043)  | सैची          | विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्शी, डीपीआर प्रीप्रेशन, परामर्शी सेवाएँ एवं मूल्यांकन कार्य, राज्य के विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन कार्य, सेन गेज स्थापन आदि के भुगतान हेतु                 | 16 / 17-18 प्र०स्वी० दिनांक- 18.05.2016 | 790.00  | 0.00                  | 0.00                           | 4.57          | 4.57      | 79298                        | Development and Implementation of Web Based Dynamic Software for Online Monitoring of Court Cases of Water Resources Department, Government of Jharkhand से संबंधित कार्य के Fourth Phase एवं एक अदद Man Power के भुगतान हेतु। |
| योग  |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |         | 0.00                  | 61.17                          | 61.17         |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                |

आवृत्ति राशि — ₹ एकसठ लाख सतरह हजार मात्र।

आवंटित राशि - ₹ एकसठ लाख सत्तरह हजार मात्र।

(श्वेता कुमारी)

सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(कमल किशोर)

सचिव